न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

I/निगरानी/छतरपुर/भू.रा/2018/1546

प्र.कं. /2018 पुनरीक्षण

अनन्दी प्रसाद पुत्र शिवप्रसाद कुर्मी
निवासी कीरतपुर बदरखा तहसील सरवाई
जिला छतरपुर (म.प्र.)

..... आवेदक

विरूद्ध

लखनलाल पुत्र शिपाल ब्राम्हण
निवासी ग्राम नांद तहसील गौरिहार
जिला छतरपुर (म.प्र.)

..... अनावेदक

न्यायालय नायब तहसीलदार सरवाई जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा रा.प्र.कं. 209/अ–6–अ/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 15.12.2017 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि :–

1– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

2– यह कि, भूमि ख.नं. 331/3 रकवा 1.000 है. आवेदक के स्वत्व स्वामित्व की भूमि है। उक्त भूमि आवेदक की पुस्तैनी भूमि है । आवेदक के पूर्व उसके पिता उक्त भूमि के भूमिस्वामी होकर काबिज रहे पिता के पश्चात आवेदक काबिज होकर राजस्व अभिलेख में 30–35 वर्षो से भूमिस्वामी स्वत्व पर नाम दर्ज चला आ रहा है। (1985–86 से 1916–17 तक के खसरा संलग्न है)

3– यह कि, तहसील न्यायालय के समक्ष अनावेदक ने वाद भूमि ख.नं. 331/3 रकवा 1.000 है. भूमि पर आवेदक की फर्जी प्रविष्टि होना बताते हुये रिकार्ड

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2018/1546

अनन्दी प्रसाद विरूद्ध लखनलाल ब्राहम्ण

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र उपस्थित। आवेदक अभिभाषक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी विजावर, जिला-छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 209/अ-6-अ/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 15-12-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 01-03-2018 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी, जिला-छतरपुर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया	

जाना होगा ।

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो।

6. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 11.01.19
सदस्य